



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222784
CG-DL-E-28102020-222784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3401]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942

No. 3401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का. आ. 3854(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 8 अगस्त, 2018 संख्या का.आ. 3942(अ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 37/2018 तारीख 8 अगस्त, 2018 का अधिकांत करते हुए उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुंशिफ न्यायालय संख्या 3-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कामरूप (एम) गुवाहाटी को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ असम, नागालैण्ड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहीत करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[तारीख 28-10-2020 की अधिसूचना संख्या 86/2020/फा.स. 285/09/2018-आईटी (अन्वेषण-V) सीबीडीटी]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त (ओएसडी)(जांच)